

# शब्दावली



## शब्दावली

<b>राजस्व प्राप्तियां</b>	राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघ के करों और शुल्क में राज्य का अंश और भा.स. के सहायता अनुदान शामिल हैं।
<b>पूंजीगत प्राप्तियां</b>	पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश से होने वाली प्राप्तियां, ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्त संस्थानों/व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त उधार) और भा.स. से प्राप्त ऋण व अग्रिम और लोक लेखा से प्राप्त शामिल हैं।
<b>उत्प्लावकता अनुपात</b>	उत्प्लावकता अनुपात किसी आधार चर में एक परिवर्तन के संदर्भ में किसी राजकोषीय चर की प्रतिक्रियात्मकता की मात्रा या सापेक्ष प्रतिक्रियात्मकता का स्तर दर्शाता है। उदाहरण के लिए राजस्व प्राप्त का 0.5 होना यह व्यक्त करता है कि राजस्व प्राप्त में 0.5 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि होती है, यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत बढ़ता है।
<b>मौलिक सार्वजनिक वस्तुएँ</b>	मौलिक सार्वजनिक वस्तुएँ वे हैं जो सभी नागरिक साथ-साथ उपयोग करते हैं अर्थात् ऐसी वस्तु के किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस वस्तु के उपयोग में कमी नहीं आती है, यथा-कानून व्यवस्था लागू करना, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षा, प्रदूषणमुक्त वायु व पर्यावरणीय वस्तुएँ व सड़क अवसंरचना, इत्यादि।
<b>योग्यतामूलक वस्तुएँ</b>	योग्यतामूलक वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज को वे आवश्यकता की एक संकल्पना के आधार पर मिलने चाहिए, न कि सरकार को भुगतान करने की क्षमता या इच्छा के कारण। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण हैं पोषाहार हेतु निर्धनों को निःशुल्क व रियायती भोजन, जीवन की गुणवत्ता सुधारने तथा रूग्णता कम करने हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सभी को मौलिक शिक्षा प्रदान करना, पेय जल व स्वच्छता, इत्यादि।
<b>विकास व्यय</b>	व्यय के आंकड़ों को विकास और गैर-विकास व्यय में विभाजित कर विश्लेषण करते हैं। राजस्व लेखा, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्पष्ट

तौर पर सामाजिक और आर्थिक सेवाएँ विकास व्यय में शामिल हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय के रूप में लिया जाता है।

**ऋण धारणीयता**

ऋण धारणीयता को एक समयावधि के भीतर राज्य द्वारा एक स्थिर ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बनाए रखने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इससे अपने ऋण की चुकौती की योग्यता भी संबंधित है। इस प्रकार, ऋण की धार्यता का अर्थ वर्तमान व प्रतिबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त तरल संपत्ति का होना और अतिरिक्त ऋण की लागतों और इस ऋणों से प्राप्त रिटर्न के बीच संतुलन बनाए रखना भी है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के समान हो।

**गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता**

अभिवृद्ध्यात्मक ब्याज देयताओं और अभिवृद्ध्यात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हेतु राज्य की अभिवृद्ध्यात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धार्यता को प्राप्त किया जा सकता है यदि अभिवृद्ध्यात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों से अभिवृद्ध्यात्मक ब्याज देयता और अभिवृद्ध्यात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

**उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता**

इसे ऋणनिर्मोचन (मूल और ब्याज के भुगतान का जोड़) से कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं जो दर्शाता है कि ऋण निर्मोचन में किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों का प्रयोग हुआ, जो उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाता है।

**प्राथमिक राजस्व व्यय**

प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ ब्याज भुगतान से शेष रहने वाला राजस्व व्यय है।

**निवल ऋण उपलब्ध**

राज्य को उपलब्ध निवल ऋण का अर्थ सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान पर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों से और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान से अधिकता है।

